न्यायालय राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड़, देहरादून।

स्टाम्प निगरानी संख्या–13/2012–13 अन्तर्गत धारा–56(1) स्टाम्प अधिनियम

मैसर्स प्रिन्स प्लास्टिक इन्टरनेशनल प्रा0लि0

बनाम

सहायक कलेक्टर/राज्य सरकार द्वारा कलेक्टर, हरिद्वार

उपस्थितिः श्री राकेश शर्मा, आई0ए0एस0, अध्यक्ष।

अधिवक्ता निगरानीकर्ता : श्री अतुल अग्रवाल एवं श्री अरूण उनियाल।

अधिवक्ता प्रतिपक्षी राज्य सरकार : श्री राजवीर सिंह, सहा0 जिला शासकीय अधिवक्ता(राजस्व)।

बावत

मौजा सिडकुल, जनपद हरिद्वार

निर्णय

यह निगरानी विद्वान उप जिलाधिकारी/सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी, हरिद्वार द्वारा वाद संख्या–05/2010–11 अन्तर्गत धारा–47ए स्टाम्प अधिनियम सरकार बनाम प्रिन्स प्लास्टिक इन्टरनेशनल प्रा0लि0 में पारित निर्णयादेश दिनांक 19–10–2012 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है।

वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि उप निबन्धक, हरिद्वार ने दिनांक 18–08–2008 को अपर जिलाधिकारी(वित्त एवं राजस्व), हरिद्वार को आख्या प्रेषित की कि प्रलेख संख्या–4615/2008 के माध्यम से प्रथम पक्ष सिडकुल एवं द्वितीय पक्ष प्रिन्स प्लास्टिक इन्टरनेशनल प्रा0लि0 के मध्य एक टर्मिनेशन डीड निष्पादित किया गया है। विलेख के माध्यम से सिडकुल द्वारा आई0आई0ई0 हरिद्वार के सेक्टर–03 के प्लाट संख्या–5बी की सम्पत्ति की लीज डीड संख्या–9462/2007 से प्रिन्स इण्डस्ट्रीज के पक्ष में निष्पादित की गई जो कि इस विलेख में अंकित तथ्यों के अनुसार उपरोक्त सम्पत्ति मैसर्स प्रिन्स प्लास्टिक इन्टरनेशनल प्रा0लि0 द्वारा मैसर्स प्रिन्स इण्डस्ट्रीज को प्रदान करने की सहमति कर दी गई है तथा टर्मिनेशन डीड के निष्पादन से पूर्व ही सिडकुल द्वारा प्रश्नगत सम्पत्ति की लीज डीड विलेख संख्या–4257/2008 प्रिन्स प्लास्टिक इन्टरनेशनल प्रा0लि0 के पक्ष में निष्पादित की गई। उपरोक्त तथ्य से स्पष्ट है कि सिडकुल एवं मैसर्स प्रिन्स इण्डस्ट्रीज द्वारा संयुक्त रूप से सहमत होते हुए प्रश्नगत सम्पत्ति मैसर्स प्रिन्स प्लास्टिक इन्टरनेशनल प्रा0लि0 को दी गई जबकि सम्पत्ति के अधिकार बतौर लीज ग्रहीता मैसर्स प्रिन्स इण्डस्ट्रीज के पास थे। उक्त हस्तान्तरण मूल आवंटी के आवेदन/सहमति से हुआ है। शासनादेश संख्या–210(2) वि0अनु0–5/स्टाम्प(01/स्टाम्प)/2004, दिनांक 19–07–2004 एवं शासनादेश संख्या–344(1)/XXVII(9)/स्टाम्प/2005, दिनांक 14 नवम्बर, 2005 के अनुसार सम्पत्ति का मूल्यांकन कलेक्टर द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार किया जाना अपेक्षित है। वर्तमान में कलेक्टर द्वारा निर्धारित दर के अनुसार विलेख पर रू0 32,85,000–00 का स्टाम्प शुल्क देय होता है जिसके सापेक्ष 11,35,000–00 रूपये का स्टाम्प शुल्क अदा किया गया है जिसके आधार पर विलेख में रू0 21,50,000–00 का कमी स्टाम्प शुल्क अदा किया जाना है। अतः कमी स्टाम्प शुल्क की वसूली मय अर्थदण्ड के वसूली हेतु प्रकरण प्रेषित किया जा रहा है।

उपरोक्त आख्या के आधार पर अपर कलेक्टर ने वाद पंजीकृत कर निस्तारण हेतु अपने आदेश दिनांक 18–03–2010 से उप जिलाधिकारी, हरिद्वार को स्थानान्तरित किया

गया। उप निबन्धक की आख्या दिनांक 18–08–2008 से सहमत होकर सहायक कलेक्टर, हरिद्वार ने अपने आदेश दिनांक 19–10–2012 से रू0 21,50,000–00 कमी स्टाम्प शुल्क व रू0 40,000–00 अर्थदण्ड आरोपित कर कुल 21,90,000–00 रूपये की धनराशि निर्धारित लेखा शीर्षक में जमा करने के आदेश पारित किये। उक्त आदेश के विरूद्व यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना तथा अवर न्यायालय की वाद पत्रावली एवं प्रस्तुत विधि व्यवस्थाओं का अवलोकन किया।

विद्वान अधिवक्ता निगरानीकर्ता का तर्क था कि शासनादेश संख्या–290(1)/XXVII (9)/2010/स्टाम्प–01/2005, दिनांक 24 दिसम्बर, 2010 में यह स्पष्ट व्यवस्था दी गई है कि औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड(सिडकुल), उत्तराखण्ड द्वारा राज्य के अन्तर्गत स्वंय अथवा संयुक्त क्षेत्र में उद्यमियों को उपलब्ध कराई जाने वाली भूमि पर स्टाम्प शुल्क की प्रभार्यता सिडकुल द्वारा निर्धारित वास्तविक विकय मूल्य के आधार पर स्टाम्प शुल्क लिये जाने की व्यवस्था दी गई है, जिसका कि विद्वान सहायक कलेक्टर द्वारा कोई संज्ञान नहीं किया गया है और पूर्व में जारी शासनादेश भी शासनादेश दिनांक 24 दिसम्बर, 2010 से अतिक्रमित किये जा चुके हैं, अतः सहायक कलेक्टर द्वारा जो स्टाम्प शुल्क व अर्थदण्ड आरोपित किया गया है वह नियमानुसार गलत आरोपित किया गया है।

राज्य सरकार की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता(राजस्व) का कहना था कि शासनादेश दिनांक 24–12–2010 उनके संज्ञान में नहीं है।

वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर जारी शासनादेशों में यह स्पष्ट किया गया है कि राज्य में औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड(सिडकुल) द्वारा उद्यमियों को उपलब्ध कराई जाने वाली भूमि पर स्टाम्प शुल्क सिडकुल द्वारा निर्धारित वास्तविक विकय मूल्य के आधार पर लिया जायेगा। प्रस्तुत प्रकरण में भी मै0 प्रिन्स प्लास्टिक लिमिटेड को भूमि लीज डीड दिनांक 12 जून, 2007 से सिडकुल द्वारा उपलब्ध कराई गई है जिसमें निर्धारित मूल्य के आधार पर ही सम्बन्धित कम्पनी द्वारा स्टाम्प शुल्क अदा किया गया है जो कि सही एवं विधिसम्मत है।

अतः उपरोक्त के आलोक में सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी, हरिद्वार द्वारा कमी स्टाम्प शुल्क रू0 21,50,000–00 एवं अर्थदण्ड रू0 40,000–00 अर्थात कुल रू0 21,90,000–00 आरोपित सम्बन्धित आदेश दिनांक 19–10–2012 निरस्त होने योग्य है।

आदेश

निगरानी स्वीकार की जाती है। सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी, हरिद्वार द्वारा पारित आदेश दिनांक 19–10–2012 निरस्त किया जाता है। अवर न्यायालय की पत्रावली वापस तथा इस न्यायालय की पत्रावली संचित हो।

(राकेश शर्मा)
अध्यक्ष।

आज दिनांक 08/01/15 को खुले न्यायालय में उद्घोषित, हस्ताक्षरित एवं दिनांकित।

(राकेश शर्मा)
अध्यक्ष।